न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
20/21	एफएसएस एक्ट, 2006	03/11/2021

1. प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

आवेदक

बनाम

1. राजमल अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वरलाल उम्र लगभग 71 वर्ष जाति महाजन (एफबीओ व मालिक)-फर्म-राजमल पुरूषोत्तम अग्रवाल ,सब्जीमण्डी बाजार गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी निवासी महेन्द्र पटवारी के पीछे शिवपुरी–बी सालोदा रोड गंगापुर सिटी।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक:– 10.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 28.03.2021 को लगभग 11:00 ए.एम. पर दौराने गश्त फर्म राजमल पुरूषोत्तम अग्रवाल ,सब्जीमण्डी बाजार गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी पर मो0 अशलम वार्ड बॉय ,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचा। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूदा व्यक्ति ने अपना नाम राजमल अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वरलाल अग्रवाल उम्र लगभग 71 वर्ष जाति महाजन तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। आवेदक ने राजमल अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। उक्त दुकान पर घी,तेल,वनस्पति व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर मे एक रैक मे आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुयी खाद्य वस्तु रिफाईन्ड सोयाबीन तेल (आशीष ब्रान्ड) 400 ग्राम पैक की 20 बोटलों का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक राजमल अग्रवाल से उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन तेल (आशीष ब्रान्ड) 400 ग्राम की बोटलो मे से शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये।

आवेदक द्वारा रिफाईन्ड सोयाबीन तेल (आशीष ब्रान्ड) 400 ग्राम पैक की बोटलों मे से 4 बोटल शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् खरीदी जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 260/ [illegible] नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सिल बन्द किया गया था उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द शिशि एक आउटर कवर में लेपटकर सिल मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की दो प्रतियाँ एक लिफाफें में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा मौहम्मद अशलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 30.03.2021 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो पैकिट भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2021/806 दिनांक 16.04.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/533/एक्ट/2021/586 दिनांक 07.04.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन तेल (आशीष ब्रान्ड) 400 ग्राम पैक मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है।

अतिरिक्त जिला [illegible] एवं
अतिरि[illegible]
गंगापु[illegible]

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/533/एक्ट/2021/586 दिनांक 07.04.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिथ्याछाप प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित । अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा निरक्षण विधि के अनुसार नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा जिस अवस्था में खाद्य पदार्थ क्रय किया जाता है, उसी अवस्था में विक्रय किया जाता है। जिसमें आवेदक का कोई दोष नहीं है। अभियुक्त की उम्र काफी ज्यादा है तथा अभियुक्त जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अभियुक्त के बच्चे भी अभी तक बेरोजगार है, साथ ही वकील अभियुक्त ने उक्त प्रकरण में अभियुक्त को दोष मुक्त कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/533/एक्ट/2021/586 दिनांक 07.04.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिथ्याछाप प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है, आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 5,000 (पॉच हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एव एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...10.06.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी